

मूल वाद में अग्रिम शिक्का
बमुकदमा में इस्तेमाल
अ. आदेश 20 नियम 6-7 का प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया



पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 123/2022

वादपत्र अं. धारा 53/88 आर.टी.ए.

निर्मल सिंह पुत्र श्री गुरसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया।

बनाम

1. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया।
2. दर्शन सिंह पुत्र श्री बगूसिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया।
3. रमनदीप कौर पुत्री गुरसेवक सिंह जाति जटसिख निवासी मालारामपुरा तहसील संगरिया।
4. परभीतकौर पत्नी कुलदीप सिंह पत्नी दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी बार्ड नम्बर 6 पीलीबंगा।
5. गुरदीप कौर पत्नी बलजीत सिंह पुत्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी बार्ड नं. 6 पीलीबंगा।
6. सुखपाल कौर पत्नी सरदूल सिंह पुत्री दर्शन सिंह जाति जटसिख नि.कमरानी तहसील टिब्बी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

- श्री भीम पारिक अधिवक्ता वादी
श्री कुलदीप मूण्ड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3
श्री हनुमन्त चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 ता 6

तथा

राजस्व वाद :- बाबत घोषणा एवं तकसीम खाता

नम्बर मुकदमा :-485/2023

1. करणजीत पुत्र काहनचन्द (फौत)
- 1/1 सरोज पत्नी करणजीत जाति ब्राह्मण सा.मालारामपुरा
- 1/2 सुनील कुमार पुत्र करणजीत जाति ब्राह्मण सा.मालारामपुरा
2. बलदेव सिंह पुत्र काहनचन्द जाति ब्राह्मण सा.मालारामपुरा तह.संगरिया।
3. मूर्ती देवी पत्नी सुरेन्द्र जाति ब्राह्मण सा.मालारामपुरा तह.संगरिया।

वादीगण

बनाम

1. सीतादेवी पत्नी काहनचन्द जाति ब्राह्मण सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
2. रविन्द्र पुत्री सुरेन्द्र जाति ब्राह्मण सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
3. अमनदीप पुत्र सुरेन्द्र जाति ब्राह्मण सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
4. परविन्द्र कौर पुत्री सुरेन्द्र जाति ब्राह्मण सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
5. अमृतपाल पुत्र सीतोदवी जाति ब्राह्मण सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
6. कालासिंह पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया (फौत)
7. जसपाल पुत्र कलो जाति ब्राह्मण सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
8. गुरसेवक सिंह पुत्र दर्शन सिंह पुत्र बगू सिंह जाति जटसिख सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
9. बन्टी पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
10. बलकरण सिंह पुत्र जग्गा सिंह उर्फ जगजीत सिंह जाति जटसिख सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
11. ममता पुत्र मदन लाल जाति ब्राह्मण सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
12. जगदीश पुत्र रामुराम पुत्र लाधूराम जाति बिश्नोई सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
13. मखन सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह पुत्र वीरसिंह पुत्र जगतसिंह जाति जटसिख सा.मालारामपुरा तह. संगरिया।
14. गुरदेव सिंह पुत्र सुच्या सिंह पुत्र मंगल सिंह जाति जटसिख सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
15. संजय पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
16. संदीप पुत्र हेतराम पुत्र लाधूराम जाति बिश्नोई सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
17. सुखमन्द्र सिंह पुत्र बलजीत सिंह पुत्र हरनाम सिंह पुत्र दसौदा सिंह जाति जटसिख सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
18. सोमनाथ पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण सा.मालारामपुरा तहसील संगरिया।
19. शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक शाखा मालारामपुरा।
20. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
21. ओमप्रकाश पुत्र भूपराम जाति बिश्नोई सा.मालारामपुरा

-प्रतिवादीगण



दिनांक :- 19.2.2024

उपस्थित :-

श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध अधिवक्ता वादीगण
श्री गुरमीत सिंह कलसी अधिवक्ता प्रति. 1 ता 4, 21
श्री गुरविन्द सिंह राजपाल अधिवक्ता प्रति.19

यह उक्त राजस्व मुकदमें आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबक हमारे बहाजरी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक 8 केएसडी के खाता संख्या 50/6 में कुल 3.920 हैं मौके पर कब्जा काशत की भूमि-

1. औमप्रकाश पुत्र भूपराम जाति विशनोई सा. 8 केएसडी मालारामपुरा

प.न.	मु.न.	किला नं.
141/108	38	25/1/0.051 हैं नहरी 25/2/0.005 हैं गै.मु रास्ता कुल 0.056 हैं नहरी मय गै.मु (नहरी 0.051 हैं. गै.मु रास्ता 0.005 हैं)

2. करणजीत पुत्र काहनचन्द जाति ब्राह्मण सां. वजीतपुर भोमा

प.न.	मु.न.	किला नं.
141/108	38	25/1/0.075 हैं 25/2/0.020 है गै.मु रास्ता
142/108	39	20/0.228 है 21/1/0.101 हैं 21/2/0.025 है. गै.मु

3. मूर्तीदेवी पत्नी सुरेन्द्र जाति ब्राह्मण सा वजीतपुर भोमा

प.न.	मु.न.	किला नं.
142/108	39	20/0.025 हैं नहरी 19/0.253 है 18/0.038 हैं नहरी 21/1/0013 हैं 22/1/0.114 22/2/0026 है गै.मु रास्ता 23/1/0.012 हैं नहरी कुल 0.481 हैं नहरी मय गै. मु (नहरी 0.455 हैं गै.मु रास्ता 0.026 हैं)

4. बलदेव कुमार पुत्र काहनचन्द जाति ब्राह्मण सा. वजीतपुर भोमा

प.न.	मु.न.	किला नं.
142/108	39	17/0.089 हैं 18/0.215 23/1/0.114 23/2/0.025 हैं गै.मु रास्ता 24/1/0.051 हैं 24/2/0.005 हैं गै.मु रास्ता कुल 0.499 हैं नहरी मय गै.मु (नहरी 0.469 हैं गै.मु रास्ता 0.030 है)

5. कालासिंह, बन्दी, संजय, सोमनाथ पि मदनलाल बहिब 4/5 हि ममता पुत्री मदनलाल 1/5 हि जाति ब्राह्मण सा. वजीतपुर भोमा

प.न.	मु.न.	किला नं.
142/108	39	12,13,14/0.253 हैप्र 17/0.164हैं 24/1/0.075है 24/2/0.020हैगै.मु रास्ता
143/108	40	20/0.253हैं कुल 1.271 हैनहरी मय गै.मु (नहरी 1.251 हैं गै.मु रास्ता 0.020 हैं)

6. बलकरणसिंह पुत्र जगजीतसिंह उर्फ जग्गासिंह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा

प.न.	मु.न.	किला नं.
142/108	39	15/1/0.228है 15/2/0.025 हैं गै.मु रास्ता 16/1/0.228 हैं 16/2/0.025 हैं गै.मु रास्ता 25/1/0.114 25/2/0.025 हैं गै.मु रास्ता 25/3/0.013 हैं गै.मु रास्ता कुल 0.658 हैं नहरी मय गै.मु (नहरी 0.570 हैं गै.मु रास्ता 0.088 हैं)

7. दर्शनसिंह पुत्र बंगूसिंह जाति जटसिख सा. मालारामपुरा

प.न.	मु.न.	किला नं.
142/108	39	6/1/0.228 है 6/2/0.025 है गै.मु रास्ता
143/108	40	11/0.253 हैं कुल 0.506 हैं नहरी मय गै.मु(नहरी 0.481 हैं गै.मु रास्ता 0.025 हैं)


नोट :- तहसीलदार संगरिया ने विभाजन प्रस्ताव में मृतक पक्षकारों के वारिसानों का कब्जा काशत होना बताया है इसलिए मृतक के वारिसानों की नियमानुसार जांच कर जांच उपरान्त उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। वाद संख्या 123/2022 में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर अपने हक हिस्सा का परित्याग वादी निर्मलसिंह के पक्ष में कर दिया है तथा वाद संख्या 485/2023 में प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर अपने हक हिस्सा का परित्याग करणजीतसिंह, बलदेवसिंह, मूर्तीदेवी के पक्ष में बहिब कर दिया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर अपने हक हिस्सा का परित्याग वादी संख्या 3 के पक्ष में कर दिया है एवं वादी संख्या 1/2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर अपने हक हिस्सा का परित्याग वादी 1/1 के पक्ष में कर दिया है।


कलसी एवं
अधिकारी
संगरिया

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार खाता अलग कायम किया जाकर रकमराज अलग से कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। उप तहसीलदार भू.अ. के पत्र क्रमांक-पीडी/भू.अ./023/173 दिनांक 16.07.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि एक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा द्विक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल वसूल कर दिया जावे।

निज मुल्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह जीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.02.2024 को खुले न्यायालय




(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं एव
उप-अधीक्षक-द्विक्रीत
संगरिया